## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 3245–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–8–2015 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 86/अंतरण/14–15.

---

महर्षि शिक्षा संस्थान
द्वारा अधिकृत प्रशासनिक अधिकारी (विधि)
इंद्रजीत दत्त आत्मज स्व. के.के. दत्त
निवासी महर्षि शिक्षा संस्थान केम्पस
ग्राम लाम्बाखेड़ा, भोपाल .....आवेदक

**विरूद्ध**

1– रफीक हुसैन आत्मज इक्तेदार हुसैन
2– मंसूर हुसैन आत्मज इक्तेदार हुसैन
3– मशरूर हुसैन आत्मज इक्तेदार हुसैन
4– मशकूर हुसैन आत्मज इक्तेदार हुसैन (मृत)
उत्तराधिकारी
(1) महताज पत्नी मशकूर
(2) आलिया पुत्री मशकूर
(3) अरूब पुत्र मशकूर
(4) अरूबा पुत्र मशकूर
5– तरन्नो पुत्री इक्तेदार हुसैन
निवासीगण लखेरापुरा, भोपाल
6– शफीक यार आत्मज मुजीव
7– श्रीमती मुजब्बर जहां पत्नी शफीक यार (मृतक)
उत्तराधिकारी
(1) संजीव यार पुत्र शफीक यार
(2) वसीम यार पुत्र शफीक यार
(3) फराहना पत्नी खावा आफरावी

(4) सहाना पत्नी सहजल
निवासीगण 116 फिरदौस नगर
बैरसिया रोड, भोपाल ..........अनावेदकगण

---

श्री सुनील जादौन, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक क. 1,2,3 व 5

:: आ दे श ::

**(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम लाम्बाखेड़ा तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे कमांक 16/1/6, 17–18/2, 18/3–19–39/2 –39/5/1/1/6 रकबा 0.809 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 16/2/1 एवं सर्वे कमांक 18/1/1/1 रकबा 0.202 हेक्टेयर के बटांकन हेतु अधीक्षक, भू–अभिलेख भू–प्रबंधन, भोपाल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा प्रकरण कमांक 05/अ–3/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक कमांक 6 एवं 7 द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अधीक्षक भू–अभिलेख भू–प्रबंधन द्वारा दिनांक 7–5–2015 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । आवेदक द्वारा संहिता की धारा 29 के अंतर्गत प्रकरण अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने हेतु आवेदन पत्र आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया । आयुक्त द्वारा दिनांक 25–8–15 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा अनावेदक कमांक 6 एवं 7 का पक्ष लिया जाकर उन्हें लाभ

पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है । अतः प्रकरण उनके न्यायालय से अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाये ।

4/ अनावेदक कमांक 1, 2, 3, व 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण दो बार प्रत्यावर्तित होने के पश्चात अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा आयुक्त के आदेश के पालन में कार्यवाही की जा रही है, इसके बावजूद भी अनावेदक कमांक 6 व 7 द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त करने में अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा प्रकरण स्थानांतरण के आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए सकारण आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट हे कि आवेदक की ओर से संहिता की धारा 29 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र वैधानिक एवं उचित कारण दर्शाते हुए निरस्त किया गया है, जो कि पूर्णतः औचित्यपूर्ण कार्यवाही है । आवेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदक प्रकरण को येन–केन–प्रकारेण लम्बित रखना चाहते है, और प्रकरण का निराकरण नहीं होना देना चाहते हैं, और इसी उद्देश्य से आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–8–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर